न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 251/2013 **दायरा दिनांक : 22.11.2013**

उनवान

भारतसिंह पुत्र श्री सौभाग सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगाल, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रताप सिंह पुत्र श्री सौभाग सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगाल, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2— भगवान सिंह पुत्र श्री सौभाग सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगाल, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

3— कैलाश बाई पुत्री श्री सौभाग सिंह, जाति राजपूत, निवासी औसार, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश

4— विष्णु बाई पुत्री श्री सौभाग सिंह, दत्तक पुत्री धन्ना बाई, जाति खोखरिया कलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

5— सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मंसूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं के एल रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.01.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 469/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 प्रताप सिंह ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन कि वादी और प्रतिवादी 1 लगायत 4 सौभाग सिंह की संताने हैं और वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । शामलाती खाते में खतौनी संख्या नयी 85 पुरानी 77 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल 8 किता की 53 बीघा 8 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है । कैलाश बाई इस आराजी में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है । इस कारण वादी का 1/3 हिस्सा है । विष्णु बाई धन्ना बाई की गोद पुत्री है अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 1 ने जवाबदावा पेश किया और यह कथन किया कि पक्षकारों के मध्य आराजी का विभाजन हो चुका है और पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, तदनुसार विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01. 10.2013 से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 और 2 वादी के विरूद्ध तय की है फिर भी दावा डिक्री किया है । साक्ष्य को सही ढंग से नहीं पढा है, जवाबदावे को नहीं पढा है । अपीलांट के हिस्से और कब्जे को स्वीकार किया है फिर भी दावा डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है ।अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने जवाबदावा पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि बाप दादाओं के जमाने से बंटवारा हो रहा है और उसी के अनुसार वे काबिज काश्त हैं । फिर भी दावा डिक्री किया है । तनकीयात की विवेचना के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि पक्षकारों के हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसमें कुल 8 किता की वादग्रस्त आराजी भरत सिंह, प्रताप

सिंह, भगवान सिंह पुत्र सौभाग सिंह कैलाश बाई, विष्णु बाई पुत्री सौभाग सिंह के खाते में दर्ज है । एक्जीविट 2 नक्शाट्रेस की प्रति है, एक्जीविट 3 खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति है, इसके अलावा पत्रावली पर बयान वादी पी डब्ल्यू 1, प्रतिवादी भरत सिंह के बयान और बापू लाल के बयान सलंग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर पूर्व में पारित निर्णय और पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी में विष्णु बाई का हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि वह धन्ना बाई की दत्तक पुत्री है और कैलाश बाई अपना हिस्सा लेना नहीं चाहती है इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा बनता है और यदि कैलाश बाई अपना हिस्सा लेती है तो उनका 1/4 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है उसमें पक्षकारों के हिस्से तय नहीं किये हैं जबकि विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री में पक्षकारों के हिस्से तय किया जाना आवश्यक होता है । प्रारम्भिक डिक्री में पक्षकारों के हिस्से तय किये जाते हैं और अंतिम डिक्री तहसील से रिपोर्ट आने के उपरान्त जारी की जाती है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व कब्जे का ध्यान रखा जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा यदि विष्णु बाई को दत्तक पुत्री माना जाता है तो 1/4 बनता है और यदि विष्णु बाई को दत्तक पुत्री नहीं माना जाता है तो 1/5 हिस्सा बनता है । इसी प्रकार कैलाश बाई का हिस्सा विधिक रूप से उनके द्वारा तर्क किया गया है अथवा नहीं इस बात की जांच किया जाना भी आवश्यक है । क्योंकि जब तक किसी विधिक दस्तावेज से वो अपना हिस्सा नहीं छोडती है तब तक वादग्रस्त आराजी में वो हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों का हिस्सा तय किये बिना जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है वह त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन के अनुसार सहखातेदारों का हिस्सा निर्धारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करे और राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उसके उपरान्त विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवें ।

9 निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा